2011:CGHC:9635

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सं. 1629 / 1998

याचिकाकर्ता — शिव कुमार एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — भारत संघ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय और आदेश की घोषणा हेतु दिनांक 12 सितंबर 2011 को सूचीबध्द करें।

सही /-

सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सं. 1629/1998

याचिकाकर्ता — शिव कुमार एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — भारत सरकार एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री सरीना खान अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित।

श्रीमती फौजिया मिर्जा सहायक सॉलिसिटर जनरल भारत संघ / उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से ।

डॉ. एन. के . शुक्ला वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शैलेन्द्र शुक्ला अधिवक्ता, उत तरवादीगण 2 से 7 की ओर से ।

निर्णय

(12 सितम्बर 2011 को घोषित किया गया)

1. इस याचिका में, याचीगण ने एक रिट/निर्देश जारी करने की माँग की है जिसके द्वारा आदेश दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 (अनुलग्नक पी/3) को रद्द करने, जिसके अंतर्गत प्लांट, खानों, टाउनशिप तथा निर्माण में कार्यरत नियमित कर्मचारियों से जूनियर एक्जीक्यूटिव (समन्वय) (संक्षेप में 'जेईसी') के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे; आदेश दिनांक 8 मई, 1996 (अनुलग्नक पी/10) को रद्द करने, जिसके अधीन प्रतिवादी 4 एवं 5 को चयन के

आधार पर जेईसी के पद पर छह माह की अवधि के लिए (पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से) परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था; तथा आदेश दिनांक 12 जनवरी, 1998 (अनुलग्नक पी/11) को रद्द करने, जिसके अधीन प्रतिवादी 6 एवं 7 को चयन के आधार पर जेईसी के पद पर छह माह की अवधि के लिए (पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से) परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। याचीगण आगे यह निर्देश जारी करने की माँग करते हैं कि याची 5, 6, 8 को प्रतिवादी 4 एवं 5 के समकक्ष ई-ओ ग्रेड प्रदान किया जाए तथा उन्हें आदेश दिनांक 08 मई, 1996 के अधीन प्रतिवादी 4 एवं 5 को प्रदान की गई सेवा एवं आर्थिक लाभ 01 सितंबर, 1996 से प्रदान किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश माँगा गया है कि याची 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 28 पर विचार किया जाए तथा उन्हें प्रतिवादी 6 एवं 7 से वरिष्ठ मानते हुए, आदेश दिनांक 12 जनवरी, 1998 (अनुलग्नक पी/11) के अधीन प्रतिवादी 6 एवं 7 को प्रदान किए गए सेवा एवं आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएँ, क्योंकि प्रतिवादी 6 एवं 7, याची 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 28 से कनिष्ठ थे, क्योंकि उन्हें ई-ओ ग्रेड 13.12.1997 से प्रदान किया गया था। याचीगण ने प्रतिवादी 1 से 3 को अनुलग्नक पी/9 में दर्शाइ गई पदोन्नति नीति का पालन करने अथवा भर्ती एवं पदोन्नति हेतु एक सुव्यवस्थित नीति विकसित करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट की भी माँग की है; साथ ही, प्रतिवादी 1 से 3 को भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट तथा कोई अन्य राहत प्रदान करने की माँग की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचीगण द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याची भिलाई इस्पात संयंत्र (संक्षेप में 'बीएसपी') में भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (संक्षेप में 'सेल') के साथ एल-10 ग्रेड, जिसे 8-10 ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है, में प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। 22 जुलाई, 1994 (अनुलग्नक पी/1) की एल-9 एवं एल-10 कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के अनुसार, एस-10 ग्रेड से अगली पदोन्नति जूनियर एक्जीक्यूटिव (पीएस) अर्थात ई-ओ ग्रेड के पद पर होनी थी। 18 अक्टूबर, 1995 (अनुलग्नक पी/3) के परिपत्र के अनुसरण में, जेईसी के पद हेतु प्लांट, खानों, टाउनशिप तथा निर्माण में कार्यरत नियमित कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें योग्यता एवं अनुभव निर्धारित किए गए थे। 01 जनवरी 1997 को, बीएसपी में 72 पीएस (एस-10) थे और सभी 72 पीएस जूनियर एक्जीक्यूटिव

(पीएस) के रूप में पदोन्नति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र थे। यह प्रथा वर्ष 1990 तक चली। इसके पश्चात, वर्ष 1990 के दौरान कुछ व्यक्तियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया, किन्तु बाद में उन्हें पुनः नहीं बुलाया गया। इस प्रकार, वरिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति पाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। वर्ष 1993 में, श्री एम. शंकर [अब वरिष्ठ कार्यकारी (पीएस)] को एक गैर-सेल इकाई, मेकन से स्थानांतरण पर बीएसपी में ई-2 ग्रेड में नियुक्ति हेतु एक टिप्पणी प्रस्तावित करते समय, प्रबंधन ने विशेष रूप से उस समय कार्यकारी (पीएस) के कैडर में 12 रिक्तियों का उल्लेख किया था। 01 जनवरी, 1993 को, बीएसपी में कार्यकारी (पीएस) की कुल संख्या 51 थी। 1993 से दिसंबर 1997 तक, सेवानिवृत्ति/पुनः पदनाम के कारण 27 पीएस कैडर से अलग हुए। इस प्रकार, दिसंबर 1997 तक रिक्तियों की संख्या 11+27 अर्थात 38 होती है। इन 38 में से, 1993 से याचिका दाखिल करने तक केवल 11 की ही पदोन्नति हुई, जिससे कार्यकारी (पीएस) कैडर में अभी भी बड़ी संख्या में रिक्तियां शेष हैं। सेल की अन्य इकाइयों में, गैर-कार्यकारी से कार्यकारी कैडर में पदोन्नति की नीति, जैसा पूर्वोक्त है, लागू की गई थी। हालाँकि, बीएसपी में इस नीति की उपेक्षा की गई और कुछ विशेष व्यक्तियों को समायोजित करने के उद्देश्य से संभवतः एक नया पद, नया कैडर सृजित करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया और इसके पश्चात, उच्च अधिकारियों से जुड़े अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। 18 अक्टूबर, 1995 को बीएसपी द्वारा जेईसी का एक नया पद सृजित किया गया था। 18 अक्टूबर, 1995 का परिपत्र, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, प्रस्तावित तैनाती का स्थान तथा पैनल के गठन के संबंध में विशिष्ट नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्रीमती सरीना खान, अधिवक्ता के साथ याचीगण की ओर से पेश हुए, ने यह तर्क किया कि आक्षेपित परिपत्र (अनुलग्नक पी/3) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। नियमों और स्थापित मानदंडों को दरकिनार करके कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत करना, वरिष्ठता में पीछे छोड़े गए व्यक्तियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। सेल के निर्देशों/नीतिगत निर्णय भी गैर-कार्यकारी कर्मचारियों से ई-0/ई-1 ग्रेड के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले परिपत्र जारी करने से मना करते हैं। प्रतिवादी 4 से 7 को समान या अधिक योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों की वरिष्ठता

की अवहेलना करते हुए पदोन्नति दी गई, जो सेल की नीतियों के विरुद्ध है। इसके अलावा, प्रतिवादी 6 और 7 को बिना किसी साक्षात्कार के पदोन्नति दी गई और भर्ती पैनल की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें ई-0 ग्रेड दिया गया, जबकि याची 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 और 28, ई-0 ग्रेड के लिए पदोन्नति में प्रतिवादी 6 और 7 से वरिष्ठ थे। परिपत्र संख्या 9 प्रबंधन द्वारा कार्यकारी कैडर में कुछ पूर्व-निर्धारित व्यक्तियों को समायोजित करने की एक साजिश का परिणाम था। परिपत्र संख्या 9 के तहत जेईसी के रूप में चयनित/नियुक्त व्यक्ति तथा जून 1996 से वरिष्ठता नियम/सामान्य पदोन्नति नीति के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति, दोनों ही जूनियर एक्जीक्यूटिव अर्थात केवल पीएस के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं; इस प्रकार, जेईसी के रूप में एक नया पदनाम सृजित करके किसी विशेष भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी 4, 5, 6 और 7 को दी गई ई-0 ग्रेड की पदोन्नतियाँ अवैध और मनमानी हैं। प्रतिवादी 6 और 7 के लिए तो कोई साक्षात्कार भी नहीं हुआ। इसके अलावा, न्यायालय में मामले लंबित होने के आधार पर याची 8 को पदोन्नति नहीं देना भी अवैध है, क्योंकि न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबंधात्मक आदेश पारित नहीं किया गया था। एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार अर्थात याची 22 पर भी पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया, जो प्रतिवादी प्रबंधन के पूर्व-निर्धारण को दर्शाता है। स्टेज-तीन शिकायत समिति, जिसमें प्रबंधन के प्रतिनिधि और उप महासचिव स्तर के मान्यता प्राप्त संघ के नेता शामिल हैं, ने भी याचीगण द्वारा उनके समक्ष उठाई गई शिकायत को यह स्पष्ट रूप से कहते हुए लौटा दिया कि कार्यकारी कैडर में पदोन्नति से संबंधित शिकायत समिति के दायरे से बाहर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 की ओर से पेश श्री डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री शैलेन्द्र शुक्ला अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 की भर्ती नीति के अनुसार, संगठनात्मक आवश्यकता के अनुरूप कार्यकारी पदों को आंतरिक परिसंचरण के माध्यम से भरा जा सकता है। इसलिए, संयंत्र के भीतर कार्यकारी कैडर में पदों का परिसंचरण अवैध नहीं है। श्री शुक्ला ने आगे यह तर्क किया कि कार्यकारी कैडर में रिक्तियों को केवल क्षैतिज चयन (वरिष्ठता के अनुसार) द्वारा ही भरना आवश्यक नहीं है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार किए गए पैनल का उपयोग, आवश्यकता पड़ने पर, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियुक्ति हेतु किया जा रहा है। इस प्रकार, पैनल का जीवन केवल एक वर्ष का नहीं है। जेईसी के पद का परिसंचरण संयंत्र में

किया गया था, जिसमें पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, और किसी विशेष निजी सचिव या कर्मचारी को समायोजित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परिपत्र में नौकरी की आवश्यकता, योग्यता और आवश्यक अनुभव स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए थे। प्रतिवादी 4 और 5 को आदेश दिनांक 08 मई, 1996 के द्वारा नियुक्त किया गया था और प्रतिवादी 6 और 7 को आदेश दिनांक 12 जनवरी, 1998 के द्वारा नियुक्त किया गया था। चयन और नियुक्ति के बाद, पदाधिकारी वह कार्य कर रहे हैं जो परिपत्र में उल्लिखित जेईसी के पदनाम और पद से संबद्ध हैं, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि वे पदोन्नति से पहले जो कार्य कर रहे थे, वही कार्य कर रहे हैं। जेईसी पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले परिपत्र को व्यापक प्रचार दिया गया था और गलत चयन प्रक्रिया अपनाकर किसी को वंचित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। श्री मोहंती और श्री उपाध्याय ने एल-8 ग्रेड में 15 मार्च, 1983 को प्रवेश किया था और इस प्रकार, उन्होंने 10 वर्ष पूरे कर लिए थे और वे परिपत्र में निहित शर्तों के अनुसार विचार किये जाने के लिए पात्र थे।

5. डॉ. शुक्ला ने आगे यह कथन किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं तैयार की गई वरिष्ठता सूची का कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह पदोन्नति का मामला नहीं है, बल्कि चयन का मामला है। चूंकि पात्र उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए जून 1992 में यह उचित समझा गया कि मौजूदा रिक्तियों के संदर्भ में 1:3 के अनुपात में पात्र गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में बुलाया जाए। श्री शंकर की नियुक्ति के संबंध में, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र से दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र में एक कार्यकारी निजी सचिव की नियुक्ति का मामला है, जो दोनों प्रबंधनों की सहमति से हुआ। श्री शंकर मेकॉन में कार्यरत थे, और मेकॉन और सेल, बीएसपी दोनों प्रबंधनों की स्वीकृति और सहमति से, श्री शंकर की नियुक्ति 1 अप्रैल, 1993 को संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार बीएसपी में की गई थी। बीएसपी में निजी सचिवों को उनकी वरिष्ठता स्थिति और ई-0 पदोन्नति नीति के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर ई-0 स्तर पर पदोन्नत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचीगण का यह तर्क कि पदोन्नति नीति को दरकिनार कर दिया गया था और कुछ व्यक्तियों को समायोजित करने के दृष्टिकोण से एक नया पद सृजित करके परिपत्र जारी किया गया था, आधारहीन है, क्योंकि परिपत्र संगठनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और कंपनी की भर्ती नीति के अनुसार जारी किया गया था। चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 का परिपत्र जारी किया गया था, न कि पदोन्नति

के लिए। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों के समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, यह परिकल्पना की गई थी कि आवश्यकता पड़ने पर तैनात किए जाने के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाए। इसलिए, परिपत्र में रिक्तियों की संख्या या प्रस्तावित तैनाती के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था। पद बहुत उच्च ग्रेड का न होने के कारण, यह भी माना गया कि एल-8, एल-9 और एल-10 ग्रेड में मिलाकर 10 वर्ष की सेवा की अवधि का उम्मीदवारों का अनुभव पर्याप्त होगा।

7. श्री डी.के. मोहंती को वर्ष 1983 में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'एनआईएनएल'), एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, में एल-8 ग्रेड में पदोन्नति दी गई थी, जहाँ उनका भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक इकाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र से स्थानांतरण हुआ था और एनआईएनएल से उनका स्थानांतरण बीएसपी में हुआ था। इस प्रकार, उनके पास एल-8 से एल-10 ग्रेड तक 10 वर्ष का अनुभव था और उन्होंने न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा किया था। सभी पात्र उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता थी और यदि याचीगण ने आवेदन नहीं किया, तो उनके विचार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री जी.सी. उपाध्याय 15 मार्च, 1983 से एल-8 ग्रेड में थे और इस प्रकार, उन्होंने एल-8 ग्रेड से आगे 10 वर्ष की सेवा की शर्त पूरी की थी और इसलिए, वे जेईसी के पद के लिए आवेदन करने के हकदार थे। श्री डी.के. मोहंती और श्री जी.सी. उपाध्याय ने पात्रता मानदंड पूरे किए और इस प्रकार, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वे जेईसी के पद के लिए आवेदन करने के लिए भी पात्र नहीं थे। डी.के. मोहंती के चयन में किसी प्रभाव का उपयोग करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. 29 याचियों में से, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 22 पर स्थित याचियों ने परिपत्र (अनुलग्नक पी/3) के जवाब में जेईसी पद के लिए आवेदन किया था। इनमें से याची 6 और 22 को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने हेतु पात्र नहीं पाया गया। हालाँकि, याची 1 से 5, 7 और 9 ने चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में भाग लिया किंतु पद के लिए अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे और इसलिए उनका चयन नहीं किया जा सका। इस दृष्टिकोण से, वे प्रतिवादी 4 से 7 के चयन को चुनौती देने से वंचित (एस्टॉप्ड) हैं, जो पद के लिए अर्हता प्राप्त करने में सफल रहे। याची 6, श्रीमती के.वी.बी. अम्मा ने टाइपिंग, आशुलिपि, सचिवीय कार्यों में अपनी प्रवीणता, वीआईपी दौरों, बैठकों आदि के समन्वय में अपने अनुभव के बारे में माँगी गई विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की, इस प्रकार उन्हें

साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। यद्यपि क्रम संख्या 1 से 8 के याची श्री मोहंती और श्री उपाध्याय से वरिष्ठ थे, किंतु वरिष्ठता का प्रश्न अप्रासंगिक था। आंतरिक या बाह्य परिपत्र/विज्ञापन के माध्यम से किसी विशेष पद के चयन के मामले में, वरिष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता। नियुक्तियाँ सफल उम्मीदवारों के तैयार किए गए पैनल के आधार पर चयन के पश्चात की गई हैं।

9. याची 22, श्री के.जी. वाखोडीकर, जो एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार थे, ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया था और इसलिए, उन्हें पद के लिए विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा, किसी भी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया था और इसलिए, आरक्षित पदों को भविष्य में भरने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। श्री शुक्ला आगे तर्क देते हैं कि कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करने की अवस्था से लेकर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने सहित पैनल तैयार करने की अवस्था तक की संपूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्णतः कानूनी क्रम में है और कंपनी की भर्ती नीति के अनुरूप है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने, अभिलेखों, उनसे संलग्न दस्तावेजों तथा उन पर दायर लिखित बयानों का अवलोकन करने के पश्चात।

11. परिपत्र संख्या 09, दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 (अनुलग्नक पी/5) का उल्लेख करना उपयुक्त रहेगा, जो इस प्रकार है:

"भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

भिलाई इस्पात संयंत्र

संख्या: एसटीटी/रेक्ट./95/1044, भिलाई, दिनांक: 18 अक्टूबर '95

परिपत्र — 09

संयंत्र, खानों, टाउनशिप तथा निर्माण में कार्यरत नियमित कर्मचारियों से जूनियर एक्जीक्यूटिव (समन्वय) के पद, जिसका वेतनमान रु. 3500-150-6200 (बी-ओ) है, हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

कार्य आवश्यकता:

वीआईपी दौरों, बैठकों, प्रोटोकॉल कार्यों तथा सचिवीय कार्यों का समन्वय।

पद के लिए आवश्यक योग्यता एवं अनुभव नीचे दर्शाए गए हैं।

1. योग्यता: किसी भी विषय में स्नातक।
स्नातकोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. अनुभव: i) एल-8/एल-9/एल-10 ग्रेड में मिलाकर न्यूनतम 10 वर्ष पूरे कर चुके हों।
ii) टाइपिंग, आशुलिपि, सचिवीय कार्यों तथा पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करने में प्रवीण हों।
iii) अपेक्षित कार्य क्षेत्र में सिद्ध कार्य प्रदर्शन रखते हों।
iv) समन्वय कौशल की उच्च मात्रा प्रदर्शित की हो।

जो व्यक्ति इच्छुक हों, वे अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र (जो पृष्ठ के पीछे दिया गया है) में उचित चैनल के माध्यम से भरकर भर्ती अनुभाग को 06-11-95 से पूर्व प्राप्त करा सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वी.एम. राजगोपाल)
उप प्रबंधक (कार्मिक एवं सचिवालय)
मानक वितरण

12. याचीगण की मुख्य शिकायत दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 (अनुलग्नक पी/3) के परिपत्र के जारी होने को लेकर है, जिसके द्वारा बीएसपी ने जेईसी के पद हेतु संयंत्र, खानों, टाउनशिप एवं निर्माण में कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव किसी भी विषय में स्नातकता थी तथा स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को प्राथमिकता दी जानी थी। उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षित था कि (i) उन्होंने एल-8, एल-9 एवं एल-10 ग्रेड में मिलाकर न्यूनतम 10 वर्ष पूरे कर लिए हों, (ii) वे टाइपिंग, आशुलिपि, सचिवीय कार्यों तथा पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुण हों, (iii) उनका अपेक्षित कार्यक्षेत्र में सिद्ध कार्य-प्रदर्शन रहा हो, और (iv) उन्होंने समन्वय कौशल की उच्च मात्रा प्रदर्शित की हो। यह भी आवश्यक था कि निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 06 नवंबर, 1995 से अधिक देरी से नहीं पहुँचें। निर्विवाद रूप से, याची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 22 ने दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 के परिपत्र का उत्तर दिया और आवेदन किया। इनमें से, याची 6 और 8 को चयन हेतु बुलाए जाने के योग्य नहीं पाया गया। परिपत्र संख्या 09 में

आवश्यक योग्यता एल-8, एल-9 एवं एल-10 ग्रेड में मिलाकर 10 वर्ष पूरे करना थी। इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि उम्मीदवार ने बीएसपी में वरिष्ठता के आधार पर 10 वर्ष पूरे किए हों। यदि डी.के. मोहंती द्वारा एनआईएनएल में एल-8 ग्रेड में बिताया गया काल (जहाँ उन्हें मार्च 1983 में पदोन्नति मिली थी) को मिला लिया जाए, तो उन्होंने 10 वर्ष पूरे कर लिए थे और वे परिपत्र संख्या 09 में निहित शर्तों के अनुसार विचार के पात्र थे। (देखें: ***रेणु मल्लिक (स्मृ.) बनाम भारत संघ एवं अन्य***[1])। उप प्रबंधक (पी-रेक्ट.) द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 22.11.1995 की कार्यवाही में यह दर्शाया गया है कि दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में 50 आवेदन प्राप्त हुए थे और आवेदनों की छानबीन पर, पद की कार्य आवश्यकता के आधार पर केवल 9 को पात्र पाया गया। शेष 41 उम्मीदवारों ने कार्य आवश्यकता पूरी नहीं की और इस प्रकार, वे पात्र नहीं पाए गए। इसके पश्चात, 33 उम्मीदवारों से उनके अनुभव के पूर्ण विवरण, अर्थात टाइपिंग, आशुलिपि, सचिवीय कार्य, पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करने में दक्षता और उनके कार्य-प्रदर्शन का ब्योरा देने के लिए कहा गया। प्रत्युत्तर में, 27 उम्मीदवारों ने अपना विवरण प्रस्तुत किया, जिनमें से 19 को सभी मायनों में पात्र पाया गया, जैसा कि वरिष्ठ प्रबंधक (पी-जनरल) आर.के. नरूला द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 27.02.1996 की कार्यवाही से स्पष्ट है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. डॉ. शुक्ला के अनुसार, अन्य याचियों ने जेईसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किए थे। इस प्रकार, उन याचियों को परिपत्र के जारी होने तथा उचित चयन के पश्चात प्रतिवादी 4 से 7 की जेईसी पद पर नियुक्ति पर प्रश्न उठाने से रोका जाना चाहिए। याची 1 से 5, 7 और 9 के संबंध में, उन्होंने चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में भाग लिया और अंततः अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे। यह सुस्थापित है कि जो उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उसमें निर्धारित प्रक्रिया से पूर्णतः अवगत होते हैं, वे उस प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं उठा सकते। (देखें: ***वीरेंद्र कुमार वर्मा बनाम पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड एवं अन्य***[2]; ***पी.एस. गोपीनाथन बनाम केरल राज्य***[3]; ***और के.एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय***[4])।

---

[1] (1994) 1 SCC 373
[2] (2011) 1 SCC 150
[3] (2008) 6 SCC 395
[4] (2006) 6 SCC 395

14. श्री अग्रवाल का यह तर्क कि वरिष्ठ होने के नाते याचियों को जेईसी पद के चयन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, सुसंगत नहीं है क्योंकि परिपत्र संख्या 9 स्पष्ट रूप से उपबंधित करता है कि किसी भी विषय में स्नातक, जिसने एल-8, एल-9 और एल-10 में मिलाकर 10 वर्ष पूरे किए हों तथा टाइपिंग एवं आशुलिपि, सचिवीय कार्य और पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुण हों, अपेक्षित कार्यक्षेत्र में सिद्ध कार्य-प्रदर्शन रखते हों और समन्वय कौशल की उच्च मात्रा रखते हों, तथा खानों, टाउनशिप, संयंत्र और निर्माण में कार्यरत हों, आवेदन करने के पात्र थे और उचित चयन के पश्चात प्रतिवादी 4 से 7 का चयन किया गया तथा तदनुसार उनकी नियुक्ति की गई। इस प्रकार, याचियों का संपूर्ण मामला केवल वरिष्ठता पर आधारित है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। याचियों का यह अन्य आरोप कि परिपत्र संख्या 9 प्रबंधन द्वारा कुछ पूर्व-निर्धारित व्यक्तियों को कैडर में समायोजित करने की साजिश का परिणाम था, अभिलेखों में दिया गया एक निःसार स्वविवरण मात्र है तथा किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि परिपत्र संख्या 9 केवल एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि उपर्युक्त योग्यता एवं अनुभव रखने वाले सभी व्यक्तियों को चयन हेतु आवेदन करने का अवसर देता है। मेरी राय में, इस प्रकृति के चयन में पदोन्नति नीति या वरिष्ठता नियम लागू नहीं होते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संगठनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी पद का सृजन या उन्मूलन करना प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में है। दुर्भावना के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इस प्रकार, जेईसी पद के सृजन तथा उस पद के लिए प्रत्यक्ष चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करने में कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। ***ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम दयानंद एवं अन्य*** [5]में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:

> **59. पदों का सृजन एवं उन्मूलन, कैडरों का गठन और संरचना/पुनर्संरचना, भर्ती के स्रोत और तरीके तथा योग्यताओं और चयन के मापदंडों का निर्धारण आदि, ऐसे विषय हैं जो नियोक्ता के अनन्य अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, पदों या कैडरों के सृजन या उन्मूलन अथवा भर्ती के स्रोत या तरीके तथा योग्यता आदि निर्धारित करने संबंधी नियोक्ता का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन से प्रतिरक्षित नहीं है, तथापि न्यायालय नियोक्ता द्वारा विवेकाधिकार के**

[5] (2008) 11 SCC 1

प्रयोग में हस्तक्षेप करने में सदैव अत्यधिक सतर्क एवं सावधान रहेगा। न्यायालय नियोक्ता के निर्णय के विरुद्ध अपील की तरह बैठकर यह आदेश नहीं दे सकता कि किसी विशेष भर्ती मोड द्वारा पदों को भरा जाए। ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह दर्शाया जाए कि नियोक्ता की कार्रवाई किसी संवैधानिक या वैधानिक उपबंध के विपरीत है या स्पष्ट रूप से मनमानी है अथवा दुर्भावना से ग्रसित है।

16. श्री अग्रवाल का अगला तर्क कि प्रतिवादी 6 एवं 7 को साक्षात्कार आयोजित किए बिना नियुक्त किया गया, आधारहीन के है। प्रतिवादी 2 एवं 3 द्वारा मूल कागजात प्रस्तुत किए गए थे और यह पाया गया कि सभी पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार 7 मार्च, 1996 को एक समिति द्वारा किया गया था, जिसमें महाप्रबंधक (विपणन) अध्यक्ष के रूप में, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) तथा मुख्य कार्मिक प्रबंधक (एम एंड एस) सदस्य के रूप में शामिल थे। उक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर चयन सूची तैयार की गई थी और प्रतिवादी 4 एवं 5 की नियुक्ति 8 मई, 1996 (अनुलग्नक पी/6) को तथा प्रतिवादी 6 एवं 7 की नियुक्ति 12 जनवरी, 1998 (अनुलग्नक पी/11) को छह माह की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. याचियों का यह आगे का तर्क कि नियुक्तियाँ चयन सूची की वैधता अवधि के बाद की गईं, इस संदर्भ में याचियों ने यह नहीं दर्शाया है कि वे स्वयं चयन सूची या मेरिट सूची में थे और इस कारण समय पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी थी। भर्ती नीति के खंड 15.3 के अनुसार, पैनल/मेरिट सूची सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी। यह नहीं दर्शाया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने पैनल/मेरिट सूची को कब अनुमोदित किया था। यहाँ तक कि अन्यथा भी, इस स्तर पर, प्रतिवादी 4 से 7 की नियुक्तियाँ याचियों के आग्रह पर इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकतीं। याची 22, जो अनुसूचित जाति श्रेणी से हैं, के विचार न किए जाने के संबंध में, प्रतिवादी 2 एवं 3 ने अपने प्रत्युत्तर में तथा डॉ. शुक्ला द्वारा तर्क में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याची 22, श्री के.जी. वाकोडीकर ने चयन हेतु कोई आवेदन नहीं किया था। इस प्रकार, याची 22 की ओर से कोई शिकायत शेष नहीं रहती।

18. याचियों का यह आरोप संबंधी तर्क कि प्रतिवादी 2 एवं 3 ने पदोन्नति नीति का पालन नहीं किया है क्योंकि एल-10 ग्रेड के कई व्यक्ति वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसलिए याचियों सहित समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के पदोन्नति मामलों को पदोन्नति नीति के

अनुसार विचार करने का निर्देश दिया जाए - इस याचिका में इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता क्योंकि याचियों द्वारा कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं बताया गया है जहाँ कुछ अन्य कनिष्ठ व्यक्तियों को उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो और याचियों को छोड़ दिया गया हो। याचियों ने 'चयन' और 'पदोन्नति' शब्दों को लेकर भ्रमित किया है। यह चयन का मामला था, पदोन्नति का नहीं, जिसमें योग्यता एवं अनुभव में निर्धारित न्यूनतम वरिष्ठता आवश्यक थी और चयन वरिष्ठता के आधार पर नहीं था। इस प्रकार, यह तर्क भी निर्मूल है।

19. सर्वोच्च न्यायालय ने ***भारत संघ बनाम पुष्पा रानी एवं अन्य*** [6]में, पदोन्नति शब्द को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है:

> **"32. 'पदोन्नति' शब्द का अर्थ है 'सम्मान, गरिमा, पद या ग्रेड में उन्नति या प्रोत्साहन'। इस प्रकार 'पदोन्नति' न केवल उच्च पद या रैंक पर उन्नति को समाहित करती है, बल्कि उच्च ग्रेड में उन्नति का भी तात्पर्य रखती है। सेवा विधि में 'पदोन्नति' अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थों में समझा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'पदोन्नति या तो उच्च वेतनमान में हो सकती है या उच्च पद पर हो सकती है'। राजस्थान राज्य बनाम फतेहचंद सोनी[7]।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अवलोकन किया कि सामान्यतः ऐसी नियुक्ति में चयन शामिल नहीं होता, सिवाय उस स्थिति के जहाँ यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया हो कि पदोन्नति चयन के आधार पर होगी।

20. आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग, हैदराबाद एवं अन्य बनाम बी. सरत चंद्र एवं अन्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया, कि यह कब प्रारंभ होती है और चयन कब पूर्ण माना जाता है, पर विचार करते हुए अवलोकन किया कि इसमें आवेदन आमंत्रित करना, आवेदनों की छानबीन, दोषपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार करना या अयोग्य उम्मीदवारों को हटाना, परीक्षाएं आयोजित करना, साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाना तथा नियुक्ति हेतु सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार करना जैसे विभिन्न चरण शामिल हैं।

21. चयन के मामले में, योग्यता और अनुभव विज्ञापन या परिपत्र में निर्धारित शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसके अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हालाँकि, पदोन्नति के

---

[6] (2008) 9SCC 242
[7] (1996) 1 SCC 562

मामले में, सभी पात्र उम्मीदवारों पर कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले सेवा नियमों और नीति के अनुसार उच्च पद के लिए पदोन्नति हेतु विचार किया जाता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, यह दिनांक 18 मई, 1995 के विज्ञापन के अनुसरण में चयन का स्पष्ट मामला है और याचियों की यह शिकायत कि चयन वास्तव में पदोन्नति थी जिसमें वरिष्ठता पर विचार किया जाना चाहिए था, गलत है और स्वीकार नहीं की जा सकती।

22. उपर्युक्त कारणों से, याचिका जो गुणावगुण रहित होने से खारिज की जाती है।

23. वाद व्यय पर कोई आदेश नहीं।

सही /-

सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । **समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated By Yashpal Singh